कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath

उत्तराखण्ड शासन

E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in **Phone & Fax:- 01364-284239**

पत्रांक 3081/**13 C** **Date** 29 / **09/2020**

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गौपेश्वर।

विषयः- **जनपद–रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्ड़ार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/20/2018/एफ.सी./983 दिनाँक 17–08–2020

प्रपोजल सं०:–FP/UK/ROAD/23612/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् कर दिया गया हैः–

Sl.No	Objections	Clarifications
1	राज्य शासन यह स्पष्ट रूप से सूचित करें कि प्रस्तावित 4.005 है0 वनक्षेत्र में से कितना क्षेत्र Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत स्थित है तथा उस समस्त क्षेत्र की स्वीकृति नियमानुसार NBWL से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है० वनभूमि के सापेक्ष 2.970 है० क्षेत्र Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत स्थित है, शेष 1.035 है० क्षेत्र सिविल राज्य भूमि में स्थित है अर्थात NBWL से प्राप्त 3.330 है० की स्वीकृति के सापेक्ष 2.970 है0 में ही Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत मोटर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
2	इसके अतिरिक्त पूर्व में Standing Committee of NBWL द्वारा इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि बुराँश एंव बाँज के बड़े वृक्ष (40–50 cm dia) नही काटे जायेंगे तथा तदनुसार Alignment को परिवर्तित किया जायेगा। राज्य शासन तदनुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।	Standing Committee of NBWL द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुसार उक्त मोटर मार्ग पर (40–50 cm dia) या उससे अधिक व्यास के बाँज एंव बुराँस प्रजाति के कुल 9 वृक्षों के स्थान पर स्थल की आवश्यकतानुसार पेड़ के पहाड़ी भाग मे पहाड़ कटान कर या पेड़ के घाटी के तरफ दीवार निर्माण कर मोटर मार्ग का निर्माण ~~कर निर्माण~~ किया जायेगा, ताकि (40–50 cm dia) या उससे अधिक व्यास के बाँज एंव बुराँस प्रजाति के वृक्षों को कोई क्षति न पँहुचे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
29/09/2020
(इं० मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)
29/09/2020

O/C

पत्रांक 3081 /**13 C** **Date** 29 / **09/2020**

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)
29/09/2020

O/C